न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/506

1. प्रभू पुत्र चन्दा जाति कुम्हार निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड ।
2. विष्णु पुत्र चन्दा जाति कुम्हार निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड ।

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड।
2. रेखा शर्मा पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी किराडोद, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड हाल निवासी 34 सिद्धार्थ कॉलोनी अजमेर रोड जयपुर।
3. अनिता पत्नि संजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी किराडोद, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड हाल निवासी 34 सिद्धार्थ कॉलोनी अजमेर रोड़, जयपुर ।
4. ललित पुत्र रतनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी किराडोद, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड हाल निवासी 34 सिद्धार्थ कॉलोनी अजमेर रोड़, जयपुर ।
5. अमित पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी किराडोद, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड हाल निवासी 34 सिद्धार्थ कॉलोनी अजमेर रोड़, जयपुर ।
6. रितेश पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी किराडोद, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड हाल निवासी 34 सिद्धार्थ कॉलोनी अजमेर रोड़, जयपुर
7. उम्मेदसिंह पुत्र ओंकारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।
8. मोहनसिह पुत्र ओंकार सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
9. उपेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
10. कृष्णा कंवर पत्नि मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
11. किशनसिह पुत्र जयमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड।
12. विजयसिंह पुत्र जयमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
13. सुमेर सिंह पुत्र जयमल सिंह जाति राजपूत निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
14. रामरतनसिंह पुत्र रूडसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड
15. हरपाल पुत्र रूडसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
16. सुन्दर कंवर पत्नि रमेशसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड ।
17. गोविन्दसिह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

18. ज्योतिकंवर पुत्री रमेशसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सरोज कंवर पत्नि रमेशसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड ।
19. संदीपसिंह पुत्र शिवपालसिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सरोज कंवर पत्नि शिवपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड ।
20. शक्तिसिंह पुत्र शिवपालसिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सरोज कंवर पत्नि शिवपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
21. सरोज कंवर पत्नि शिवपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
22. रामवतारसिंह पुत्र गोपालसिंह (फौत)

22/1 श्रीमती सरेकंवर पत्नि स्व० रामवतारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।

22/2 भवानीसिंह पुत्र स्व0 रामवतारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा,तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।

22/3 अशोकसिंह पुत्र स्व0 रामवतारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा,तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।

23. प्रतापसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
24. आनन्दसिह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
25. उगमसिंह पुत्र राजेन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
26. सीमा बाई पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
27. पेपसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
28. गिरधारीसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
29. धर्मसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड ।
30. शंकरसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
31. श्रीरामसिह पुत्र नत्थुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड।
32. जयरामसिंह पुत्र नत्थुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
33. मीरा पत्नि नत्थुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड ।
34. राजेश कुमार पुत्र चांदराम जाति माली निवासी मुनिरका गांव साउथ वे नई दिल्ली।
35. विजेन्द्र कुमार पुत्र चांदराम जाति माली निवासी झडोदा कलां नई दिल्ली।
36. आशुसिंह पुत्र श्रीपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रेवता नई दिल्ली ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

37. वटीकॉस्ट प्रा०लि० निदेशक जयकुमार पुत्र ओमप्रकाश, 138 जैन कॉलोनी उत्तम नगर नई दिल्ली।
38. गोपाल पुत्र नामालुम जाति वैश्य निवासी 138 जैन कॉलोनी, उत्तम नगर नई दिल्ली।
39. वंश पुत्र नामालुम जाति वैश्यनिवासी 138 जैन कॉलोनी, उत्तम नगर नई दिल्ली।
40. अर्पित पुत्र नामालुम जाति वैश्य निवासी 138 जैन कॉलोनी, उत्तम नगर नई दिल्ली।
41. जयकुमार पुत्र नामालुम जाति वैश्य निवासी 138 जैन कॉलोनी, उत्तम नगर नई दिल्ली।
42. रविन्द्र कुमार पुत्र चांदराम जाति माली निवासी झडोदा कलां, नई दिल्ली।
43. कपिल कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति नामालुम निवासी सिरस,
44. अनिल कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी झडोदा कलां नई दिल्ली
45. रामसिंह पुत्र कानाराम जाति अहीर निवासी किराडोद, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड
46. नागरमल पुत्र भूरामल जाति अहीर निवासी प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
47. शंकरलाल पुत्र भूरामल (फौत)
47/1 आंची देवी पत्नि स्वर्गीय शंकरलाल जाति अहीर निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली – बहरोड ।
47/2 वेदप्रकाश पुत्र स्वर्गीय शंकरलाल जाति अहीर निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटाजिला कोटपूतली – बहरोड ।
48. कतारसिंह पुत्र रोताण सिंह जाति राजपूत निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड ।
49. जनकसिंह पुत्र जयमल सिंह (फौत)

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.10.2023 प्रकरण संख्या 25/2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान उनवानी राजस्थान सरकार बनाम किशनसिंह व अन्य।

उपस्थित–

1. श्री भगवान सहाय शर्मा, महेन्द्र पूनिया वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पो0 2. 3 व 6 की ओर से।
3. श्री विजय कुमार शर्मा वकील रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–24.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के निर्णय दिनांक 05.10.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि यह कि वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली हाल तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर में से 1298/0.0050, 1297/0.0360, 1294/0.0100, 1300/0.0040, 1301/0.0240, 1302/0.0010, 1303/0.0020, 1304/0.0080, 1306/0.0108 तथा ग्राम किराडोद के खसरा नं. में से 1170/0.0092, 1171/0.0064 है0 भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा भूमि की किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 25.07.2018 को दिये गये जिसकी अपील होने पर संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपील स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के पूर्व आदेश दिनांक 25.07.2018 को सही मानते हुये यथावत रखे जाने के आदेश दिनांक 05.10.2023 को दिये गये एवं मुताबिक आदेश व प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन की जावे।

3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 05.10.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रभू पुत्र चन्दा वगै0 द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी पावटा दिनांक 05.10.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।प्रकरण में काफी संख्या में पक्षकार हैं जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी बाद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना उचित समक्षते हैं।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली हाल तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 1294 रकबा 0.8873 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1295 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1296 रकबा 1.0738 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.9811 हैक्टेयर का अपीलार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा खसरा नंबर 1294/1 रकबा 0.4427 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1297 रकबा 1.5385 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8500 के हैक्टेयर अपीलार्थी संख्या 2 के खातेदार काश्तकार दर्ज है। तहसीलदार कोटपूतली ने बिना मौका देखे व बिना कोई जांच किये अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1294, 1297 में रास्ते बताते हुए एक प्रस्ताव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली में भेजा जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ने बिना जांच किये ही व बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये रास्ता दर्ज करने की आज्ञा दिनांक 25.07.2018 को प्रसारित कर दी गई। प्रकरण मे तहसील से प्राप्त रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट भूमिधारी तहसीलदार तहसील पावटा द्वारा तैयार नही कर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.10.2023 को तैयार की है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 3 (2) राज./6/2003 पार्ट/दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। चूंकि उक्त परिपत्र वर्ष 2016 की अवधि के लिए था लेकिन अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.10.2023 पारित करने की दिनांक को परिपत्र दिनांक 10.08.2016 प्रभावी नही था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा ने भू–राजस्व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 एच, 66 व 86 का गलत रूप से विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है न मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस ही दिया गया है। तहसील पावटा से प्राप्त हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में यह कही भी अंकित नही है कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में से रास्ता कितनी चौडाई का है इस प्रकार स्पष्ट है कि मौके पर अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से कोई रास्ता चालू होता तो आवश्यक रूप से तहसील पावटा से प्राप्त रिपोर्ट में या तहसीलदार के आवेदन पत्र में अंकन किया जाता । हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड 05.10.2023 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार कोटपूतली ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है साथ ही तहसीलदार पावटा की रिपोर्ट में राजस्व रिकॅार्ड में रास्ता दर्ज/नक्शा ट्रैस में तरमीम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 3 (2) राज. /6/2003 पार्ट/दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र के अनुसार ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों में से चालू हैं, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं हैः तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं हैं तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध हैं, ऐसे रास्तो का अंकन राजस्व अभिलेख में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अुनसार किया जावेगा ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर व मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 04.12.2023 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित रास्ता एक लम्बा रास्ता है व अनेक खसरा नम्बरों से होकर गुजरता है तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि रास्ता कदीमी रूप से मौके पर चालू एवं स्थायी रास्ता है जिससे माना जा सकता है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज एवं मौके पर प्रचलित रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प3(2) राज./6/2003 पार्ट/दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र के अनुसार ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों में से चालू हैं, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं हैं तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध हैं, ऐसे रास्तो का अंकन राजस्व अभिलेख में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अुनसार किया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा इस संबंध में पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत् रास्ते के अंकन किये जाने को निर्णय पारित किया गया है इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 05.10.2023 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।